

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।  
क्रमांक: संस्था/चि0अ0/एटी/प./2018/ दिनांक:- /01/2018

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
राजस्थान।

**विषय:-वॉक-इन-इण्टरव्यू के तहत चयनित चिकित्सकों के अनुमोदन बाबत।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उप शासन सचिव (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2014पार्ट दिनांक 09.11.17 के अनुसरण में जिला कलक्टर के अनुमोदन पश्चात जिन चिकित्सकों को वॉक-इन-इण्टरव्यू के तहत चयनित किया गया है, के सम्बन्ध में जिला कलक्टर सहित कमेटी के समस्त सदस्य के हस्ताक्षरशुदा नोटशीट एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित आदर्श पीएचसी/प्रा0स्वा0केन्द्र/सामु0स्वा0केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी के संस्थावार रिक्त पदों की सूची वॉक-इन-इण्टरव्यू के तहत चयनित चिकित्सकों के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उक्त दस्तावेज नहीं भिजवाने पर निदेशालय स्तर से अनुमोदन किया जाना सम्भव नहीं होगा।

अतिरिक्त निदेशक(राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 31/11/18

क्रमांक: संस्था/चि0अ0/एटी/18/69

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- ✓ 1 सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभागीय वेबसाईट पर डलवाना सुनिश्चित करें।
- 2 निजि/आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर